प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–24.07.2024 को हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना एवं राजकीय नलकूप की स्थिति की समीक्षा हेतु विभागीय पदाधिकारियों/अभियंताओं के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाही

प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक–24.07.2024 को हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना एवं राजकीय नलकूप की स्थिति की समीक्षा विभागीय पदाधिकारियों/अभियंताओं के साथ वीडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से की गई, जिसमें सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, अधीक्षण अभियंता (मु०) अनुश्रवण, संबंधित कार्यपालक अभियंता इत्यादि ने भाग लिया। योजनावार समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिए गए–

1. **हर खेत तक सिंचाई का पानी (सतही योजनाएं) -**

1.1 बांका जिला में इस योजनांतर्गत कुल 493 योजनाओं में से अब तक 123 योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार किया गया है तथा 94 योजनाओं में प्री–लेवल का कार्य किया गया है। कार्यपालक अभियंता, बांका द्वारा बताया गया कि मनरेगा योजना के तहत कुछ योजनाएं क्रियान्वित होने के कारण आहर–पईन में निर्धारित कुल 370 योजनाओं में कमी होगी। इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि कार्यान्वयन योग्य योजनाओं की सूची Final करके दिनांक–30.07.2024 तक विभाग को भेजा जाए।

इस जिले में कार्यान्वयन योग्य योजनाओं में से अब तक लगभग 40% योजनाओं का ही डी०पी०आर० तैयार कराया गया है, जो असंतोषजनक प्रगति है, जबकि बांका में जिला स्तर से पर्याप्त संख्या में कुल 37 कनीय अभियंता प्रतिनियुक्त हैं। विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संबंधित कार्यपालक अभियंता को इस हेतु लिखित चेतावनी निर्गत किया जाए।

कार्यपालक अभियंता, बांका को निदेश दिया गया कि योजनाओं का शत–प्रतिशत डी०पी०आर० तैयार कर प्रतिवेदन के साथ **दिनांक–05.08.2024 को पूर्वा० 11:00 बजे** समीक्षा हेतु विभाग में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता (मु०), अनुश्रवण/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका)

1.2 अधीक्षण अभियंता (मु०) अनुश्रवण को निदेश दिया गया कि अगली बैठकों में पिछले सप्ताह तक की प्रगति एवं इस सप्ताह में प्रगति तथा शेष बचे योजनाओं के डी०पी०आर० निर्माण की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुतीकरण (PPT) किया जाएगा।

(अनुपालन–अधीक्षण अभियंता (मु०), अनुश्रवण)

1.3 जमुई जिला में पिछली बैठक दिनांक–18.07.2024 तक इस योजनांतर्गत 89 डी०पी०आर० बनाए गए थे तथा आज दिनांक–24.07.2024 तक 105 डी०पी०आर० बनाए गए हैं–इस प्रकार विगत एक सप्ताह में मात्र 16 डी०पी०आर० बनाए गए हैं। इस जिले में डी०पी०आर० निर्माण की प्रगति असंतोषजनक पाया गया। प्रधान सचिव द्वारा विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संबंधित कार्यपालक अभियंता को इस संबंध में लिखित चेतावनी निर्गत किया जाए।

प्रधान सचिव द्वारा कार्यपालक अभियंता को शेष बचे योजनाओं का डी०पी०आर० निर्माण कर **दिनांक–05.08.2024 को पूर्वा० 11:00 बजे** समीक्षा हेतु विभाग में उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

जमुई में जिला स्तर से कुल 17 कनीय अभियंता प्रतिनियुक्त हैं–इस संबंध में कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि अतिरिक्त कनीय अभियंता की सेवा प्राप्त करने के संबंध में जिला पदाधिकारी से मिलकर अनुरोध किया जाए।

(अनुपालन–संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता (मु०), अनुश्रवण/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई)

1.4 कैमूर जिला में इस योजनांतर्गत कुल 66 योजनाओं में से अब तक 35 योजनाओं का डी०पी०आर० बनाया गया है तथा 14 योजनाओं में प्री–लेवल का कार्य किया गया है। कार्यपालक अभियंता, कैमूर द्वारा बताया गया कि शेष 31 योजनाओं का डी०पी०आर० दिनांक–10.08.2024 तक तैयार कर लिया जाएगा। इनके द्वारा बताया गया कि जिला स्तर से कुल 31 कनीय अभियंता प्रतिनियुक्त हैं। चूँकि इस जिले में कनीय अभियंता पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, फिर भी डी०पी०आर० निर्माण में प्रगति असंतोषजनक है। प्रधान सचिव द्वारा विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, कैमूर से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि दिनांक–30.07.2024 तक शेष बचे योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार कर विभाग को प्रतिवेदित किया जाए।

(अनुपालन–संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता (मु०), अनुश्रवण/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कैमूर)

1.5 गया जिला में इस योजनांतर्गत कुल 461 योजनाओं में से अब तक 236 योजनाओं का डी०पी०आर० बनाया गया है तथा 150 योजनाओं में प्री–लेवल किया गया है। कार्यपालक अभियंता, गया द्वारा बताया गया कि जिन 150 योजनाओं में प्री–लेवल किया गया है, उनका डी०पी०आर० का निर्माण तथा शेष बचे 75 योजनाओं में प्री–लेवल का कार्य दिनांक–10.08.2024 तक कर लिया जाएगा। प्रधान सचिव द्वारा कार्यपालक अभियंता को

निदेश दिया गया कि दिनांक–30.07.2024 तक शेष बचे सभी योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार कर विभाग को प्रतिवेदित किया जाए।

(अनुपालन–अधीक्षण अभियंता (मु०), अनुश्रवण/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया)

1.6 औरंगाबाद जिला में इस योजनांतर्गत कुल 231 योजनाओं में से अब तक 101 योजनाओं का डी०पी०आर० बनाया गया है तथा 115 योजनाओं में प्री–लेवल किया गया है। कार्यपालक अभियंता, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि आहर–पईन अंतर्गत शेष बचे 100 योजनाओं का डी०पी०आर० इस सप्ताह में तैयार करा लिया जाएगा। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि शेष योजनाओं का डी०पी०आर० दिनांक–30.07.2024 तक तैयार कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन–अधीक्षण अभियंता (मु०), अनुश्रवण/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद)

1.7 कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा, भागलपुर, मधुबनी, लखीसराय, पटना, शेखपुरा, नालंदा, दरभंगा, मुंगेर, रोहतास, जहानाबाद, बेतिया एवं आरा को निदेश दिया गया कि योजनांतर्गत शेष बचे योजनाओं में प्री–लेवल एवं डी०पी०आर० निर्माण का कार्य दिनांक–30.07.2024 तक पूर्ण कर विभाग को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाये जाने पर विभाग द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा तथा संबंधित अभियंताओं के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालन–अधीक्षण अभियंता (मु०), अनुश्रवण/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा, भागलपुर, मधुबनी, लखीसराय, पटना, शेखपुरा, नालंदा, दरभंगा, मुंगेर, रोहतास, जहानाबाद, बेतिया एवं आरा)

2. <u>मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना</u> -

2.1 जमुई जिला में इस योजनांतर्गत कुल 1135 आवेदन उपलब्ध हैं, जिनमें से 738 आवेदनों में LPC निर्गत हुए हैं तथा बांका जिला में उपलब्ध 1009 आवेदनों में से 735 आवेदनों में LPC निर्गत हुए हैं। कार्यपालक अभियंता, बांका द्वारा बताया गया कि कटोरिया इत्यादि 4 प्रखंड क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इनके निवासियों द्वारा इस योजना में अभिरूचि नहीं ले रहे हैं।

2.2 मधुबनी जिला में कुल 806 आवेदनों में से 72 आवेदनों में LPC एवं 65 आवेदनों में Caste Certificate निर्गत हुए हैं। कार्यपालक अभियंता, मधुबनी द्वारा बताया गया कि संबंधित आवेदकों से सम्पर्क किया जा रहा है, किन्तु अधिकांश लोग नलकूल की योजना लेने से इन्कार कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिला में कुल 785 आवेदनों में से 61 आवेदनों में LPC एवं 24 आवेदनों में Caste Certificate निर्गत हुए हैं। कार्यपालक अभियंता, पूर्वी चंपारण

द्वारा बताया गया कि इस हेतु विशेष अभियान चलाकर संबंधित आवेदकों से लगातार सम्पर्क किया जा रहा है।

2.3 दरभंगा जिला में कुल 631 आवेदनों में से 162 आवेदनों में LPC एवं 99 आवेदनों में Caste Certificate निर्गत हुए हैं। गया जिला में कुल 414 आवेदनों में से 271 आवेदनों में LPC एवं 154 आवेदनों में Caste Certificate निर्गत हुए हैं। निदेश दिया गया कि इस हेतु विशेष अभियान चलाकर एवं शिविर आयोजित कर आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने, LPC निर्गत करने संबंधी कार्यों में तेजी लाते कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, दरभंगा एवं गया)

2.4 इस योजना के तहत निजी नलकूप का अधिष्ठापन माह दिसम्बर, 2024 तक करना है। सभी प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि अंचलवार शिविर लगाकर आवेदकों को भू–धारकता प्रमाण पत्र (LPC) एवं जाति प्रमाण पत्र शीघ्र निर्गत कराने हेतु कार्रवाई की जाए तथा प्रत्येक दिवस का प्रगति प्रतिवेदन विभाग को भेजा जाए। प्रभारी नलकूप इस कार्य का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–प्रभारी नलकूप, लघु जल संसाधन विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

2.5 कैमूर में जिला स्तर से मात्र 4 कनीय अभियंता प्रतिनियुक्त हैं तथा रोहतास में एक भी कनीय अभियंता प्रतिनियुक्त नहीं हैं। कार्यपालक अभियंता, कैमूर एवं रोहतास को निदेश दिया गया कि जिले में कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति हेतु जिला पदाधिकारी से मिलकर अनुरोध किया जाए।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कैमूर एवं रोहतास)

2.6 जो आवेदक निजी नलकूप योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक नहीं हैं, उनके घोषणा पत्र से संबंधित विवरण का कॉलम, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना की समीक्षा हेतु तैयार किए जाने वाले प्रतिवेदन संबंधी प्रपत्र में सम्मिलित किया जाए।

(अनुपालन–प्रभारी नलकूप, लघु जल संसाधन विभाग)

3. <u>राजकीय नलकूप</u>–

3.1 हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के 21 जिलों के सर्वेक्षित 589 राजकीय नलकूपों की स्थिति की समीक्षा की गई। प्रतिवेदित हुआ कि वर्तमान में 320 राजकीय नलकूप चालू स्थिति (functional) में हैं तथा शेष नलकूप विद्युत दोष/संयुक्त दोष के कारण बंद हैं। संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि विद्युत दोष के कारण बंद पड़े नलकूपों को प्राथमिकता के आधार पर चालू कराने हेतु संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता से समन्वय स्थापित किया जाए। साथ ही निदेश दिया गया

कि इस संबंध में संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता के साथ जिला पदाधिकारी के स्तर पर बैठक आयोजित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

3.2 विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि राजकीय नलकूपों में विद्युत संबद्धता संबंधी विषय पर चर्चा हेतु अगली मुख्य सचिव महोदय की समीक्षा बैठक में भाग लेने हेतु प्रबंध निदेशक, NBPDCL एवं प्रबंध निदेशक, SBPDCL को भी बुलाया जाए तथा उक्त बैठक में संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता भी वीडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से भाग लेंगे। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

(अनुपालन–अपर सचिव/प्रभारी नलकूप, लघु जल संसाधन विभाग)

3.3 संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि जिन बंद पड़े नलकूपों की मरम्मती हेतु राशि की आवश्यकता है तो इसकी अ।ियाचना विभाग को दो दिनों के अंदर भेजा जाए।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

4. <u>अन्यान्य</u>–

4.1 प्रधान सचिव द्वारा सभी लघु सिंचाई प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम अंतर्गत जब तक कार्यान्वयन योग्य सभी सतही योजनाओं में डी०पी०आर० निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं कर लिया जाता है, तब तक उनकी सभी प्रकार की छुट्टियाँ (रविवार सहित) रद्द रहेंगी। दिनांक–30.07.2024 तक शेष बचे सभी योजनाओं में डी०पी०आर० निर्माण का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। बाद में क्षतिपूरक अवकाश नियमानुसार देय होगा।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

4.2 प्रतिवेदित हुआ कि अधीक्षण अभियंता (मु०) अनुश्रवण एवं श्री रंजीत मंडल, कार्यपालक अभियंता (मु०) अनुश्रवण द्वारा समीक्षा हेतु गलत एवं त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण बैठक के क्रम में कठिनाई उत्पन्न हुई, जो इनके कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक है। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस हेतु उक्त दोनों अभियंताओं का वेतन भुगतान अवरूद्ध करते हुए इनसे स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन–संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग)

4.3 अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–03.07.2024 को वीडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से विभागीय अभियंताओं के साथ आयोजित हर खेत तक सिंचाई का पानी एवं मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना की समीक्षा की गई थी, जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक–855 दिनांक–05.07.2024 द्वारा

निर्गत है। उक्त कार्यवाही की कंडिका–22 में यह निदेश अंकित है कि प्रत्येक सप्ताह इन योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन विकास आयुक्त के अवलोकन हेतु उपस्थापित किया जाएगा। आज समीक्षा के क्रम में प्रतिवेदित हुआ कि उक्त निदेश का नियमित अनुपालन अधीक्षण अभियंता (मु०) अनुश्रवण तथा कार्यपालक अभियंता श्री रंजीत मंडल द्वारा नहीं किया जा रहा है, जो इनके कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है। संबंधित विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस संबंध में उक्त दोनों अभियंताओं से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन–संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता (मु०), अनुश्रवण)

4.4 जो सतही योजनाएं विभिन्न कारणों से drop हो रही हैं, चाहे मनरेगा से कार्यान्वयन के कारण अथवा अन्य विभागों द्वारा कार्यान्वयन के कारणों से–उनके कमाण्ड एरिया के लक्ष्य को लघु जल संसाधन विभाग के लक्ष्य से हटाया जाना है। सभी प्रमंडलों से इससे संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर, उसे समेकित कर बिहार विकास मिशन तथा विकास आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाने हेतु भेजा जाए। इस कार्य को अतिशीघ्र पूरा किया जाए।

(अनुपालन–संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता (मु०), अनुश्रवण)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/–
प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार

ज्ञापांक–72/प्र०सचिव (को०)/ल०ज०सं०वि०/पटना, दिनांक–26/7/24

प्रतिलिपि–सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/संबंधित पदाधिकारी/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता (मु०) अनुश्रवण/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल/आई०टी० मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संतोष 26/7/24

प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग